फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

श्री भेरूसिंह पिता विजय सिंह सोडा निवासी केलवा तह0 व जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार

पत्रावली संख्या 28 / 2018

कमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 16.08.2018 अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढबोर से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढबोर को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लो0सू0 अधिकारी तहसीलदार गढबोर द्वारा जरिये पत्रांक सू.अ. 05 / 2018 / 1504 दिनांक 08.08.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि प्रार्थी / अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार चाही गयी वांछित सूचना पटवार मण्डल उमरवास से संबंधित होकर प्रार्थी / अपीलार्थी के द्वारा इस पटवार मण्डल पर दिनांक 1.12.1975 से 01.05.1978 तक पटवारी श्री देवी सिंह ,दिनांक 01.07.2013 से 30.04.2014 तक पटवारी श्री माधोलाल कंवरीया तथा दिनांक 13.04.2016 से 03.03.2017 तक पटवारी श्री सचिन कुमार प्रजापत उक्त कार्यरत रहे तीनों पटवारियॉन के सम्पूर्ण सर्विस बुक (सेवा अभिलेख) पत्रावलियों के संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेजी की सूचना 4–4 प्रमाणित प्रतियों के रुप में असल से मिलान कर चाही गई थी। रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अनुसार :– दिनांक 1.12.1975 से 01.05.1978 तक उमरवास पटवारी के पद पर कार्यरत रहे पटवारी श्री देवी सिंह के बारे में कार्यालय हाजा में किसी प्रकार का कोई रिकार्ड एवं जानकारी उपलब्ध नहीं है। दिनांकः 01.09.2013 से 30.04.2014 तक उमरवास पटवारी पद कार्यरत रहे पटवारी श्री माधोलाल कंवरीया वर्तमान में तहसील कार्यालय भीम में कार्यरत होने से उनका सर्विस रिकार्ड संबंधित तहसील भीम में उपलब्ध होने से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की छाया प्रति तहसीलदार,भीम को इस कार्यालय के पत्र कमांकः 1405–1407 दिनांकः 13.07.2018 को जरिये रजिस्टर्ड एडी के भिजवायी गई जिसकी प्रति प्रार्थी को भी रजिस्टर्ड एडी से भिजवायी गई (छाया प्रति पत्र एवं रजिस्टर्ड एडी अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं) दिनांकः 13.04.2016 से 03.03.2017 तक उमरवास पटवारी के पद पर कार्यरत रहे पटवारी श्री सचिन कुमार प्रजापती वर्तमान में तहसील हाजा के पटवार मण्डल साथिया पर कार्यरत हैं। प्रार्थी श्री भेरुसिंह सोढा द्वारा चाही गई सूचना / दस्तावेज जिसके लिये अनुरोध किया गया हैं जो कि तृतीय पक्ष से संबंधित हैं। धारा 19 के अन्तर्गत तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना या दस्तावेज के लिये अनुरोध किया जाता हैं तो उस तृतीय पक्ष की सहमति होना आवश्यक हैं, के संबंध में श्री सचिन कुमार प्रजापति (तृतीय पक्ष) को जरिये पत्र कमांकः सू.अ. 05 / भू.अ. / 2018 / 1404 दिनांकः 13.07.	

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

2018 से अपनी राय/सहमति बाबत सूचित किये जाने पर श्री प्रजापति द्वारा उक्त दस्तावेज की प्रति बाबत दिनांक: 08.08.2018 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर असहमति जाहिर की तद्नुसार वांछित दस्तावेज की छाया प्रति उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हैं (छाया प्रति रिपोर्ट पटवारी अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं)

प्रार्थी/अपीलार्थी की अपील के संदर्भ में प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी करते हुये अपीलार्थी को भी नोटिस की प्रति प्रेषित कर अपील के उत्तर पर आपकी कोई प्रतिकिया हो तो आप व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करे । इस कम में प्रार्थी/अपीलार्थी वक्त पेशी आज उपस्थित हो चाही गई सूचना के संबंध में बताया तथा पूर्व पेशी 9.08.2018 को अपना अभियावेदन भी प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया ।

लोक सूचना अधिकारी,तहसीलदार,गढ़बोर के द्वारा रिपोर्ट में यह तथ्य भी अंकित किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्रानुसार इस कार्यालय के पत्र कमांक: 1404—1407 दिनांक: 13.07.2018 से श्री सचिन कुमार प्रजापती वर्तमान पटवारी,पटवार मण्डल साथिया,लोक सूचना अधिकारी,अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय,राजसमंद तहसीलदार,भीम व स्वयं अपीलार्थी श्री भैरुसिंह सोढ़ा को भी सूचित कर दिया गया हैं। (पत्र,छाया प्रति रसदी एडी व रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं) अपीलांट को भिजवायी गई सूचना से अपीलार्थी संतुष्ट नहीं हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में तहसील कार्यालय गढ़बोर में उपस्थित होकर अपनी संतुष्टि कर सकता हैं। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने में इस कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार से विलम्ब नहीं किया गया हैं,बावजूद सूचना के प्रार्थी मूल रिकार्ड से मिलान/सूचना प्राप्ति हेतु इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ हैं।

प्रार्थी/अपीलार्थी की अपील के संदर्भ में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करते हुये अपीलार्थी को भी नोटिस की प्रति प्रेषित कर अपील के उत्तर पर आपकी कोई प्रतिकिया हो तो आप व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करे । इस कम में प्रार्थी/अपीलार्थी वक्त पेशी 09.08.2018 को उपस्थित हुआ और अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपना अभियावेदन भी प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन जाकर शामिल पत्रावली किया गया ।

अपीलार्थी को सुना गया एवं लो0सू0अधि0 तहसीलदार गढबोर की रिपोर्ट का तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया ।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार,गढ़बोर को निर्देशित किया जाता हैं कि आप आपके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का अपीलार्थी को विधिवत तरिके से सूचना देकर उसका अवलोकन कराकर उक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख से अपीलार्थी को वांछित सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें अपीलार्थी द्वारा प्रेषित अपील वर्णित तथ्यों के मध्यनजर निर्णित की जाती है। साथ ही प्रार्थी/अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्ति के सात दिवस में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गढ़बोर मे व्यक्तिशः उपस्थित होकर अभिलेख का अवलोकन कर सूचना प्राप्त करें।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गढबोर को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)